Email

दिनांक 16.08.2022 को आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया –सह– कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारियों के परिचय के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान एवं मनरेगा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा पूर्णिया प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल के जिलों के जिला पदाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों एवं निदेशक (डी0आर0डी0ए0) के साथ की गई। पूर्णिया प्रमंडल एवं कोशी प्रमंडल के जिलों के उप विकास आयुक्त द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की समीक्षा पावरप्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से की गई। बैठक में जिलावार निम्न योजनाओं पर गहन समीक्षा की गई।

- प्रधानमंत्री आवास योजना
- मुख्यमंत्री आवास योजना,
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
- जल जीवन हरियाली अभियान
- मनरेगा

➢ **प्रधानमंत्री आवास योजना / मुख्यमंत्री आवास योजना :–**

समीक्षा के क्रम में जिलावार योजनाओं की स्थिति इस प्रकार पायी गई –

- **पूर्णिया :–**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016–17 से 2020–21

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
79351	78393	73784	72149	73881

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
9343	8845	5773	3157	3818

समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल लक्ष्य 79351 के विरुद्ध विगत वर्षों में 73881 आवासों को पूर्ण कराया गया है। शेष 4618 लाभुक का आवास पूर्ण नहीं हुआ है। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों और द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच 4609 तथा द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच 1635 का अंतर है। आवास प्लस अंतर्गत भी प्रथम किस्त के विरुद्ध द्वितीय किस्त मात्र 5773 को दिया गया है। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्णिया जिले में लक्ष्य ज्यादा होने के कारण प्रगति की प्रतिशत कम है। उक्त योजना अंतर्गत पूर्ण आवास के मामले में जलालगढ़ एवं बी0कोठी प्रखंड सबसे कम पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है एवं प्रखंड स्तर पर लाभूक द्वारा कराये जा रहे आवास निर्माण कार्य का सतत् अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

- **कटिहार :–**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016–17 से 2020–21

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
81061	77474	77264	68468	69446

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
5036	4851	4199	1976	2505

मुख्यमंत्री आवास योजना (वर्तमान स्थिति)

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
306	278	239	191	192

कटिहार जिले के समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल लक्ष्य 81061 के विरुद्ध विगत वर्षों में 69446 आवासों को पूर्ण कराया गया है। शेष 11615 लाभुक का आवास पूर्ण नहीं हुआ है। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों और द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच तथा द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच भी काफी अंतर है। आवास प्लस अंतर्गत भी प्रथम किस्त के विरुद्ध द्वितीय किस्त मात्र 4199 को दिया गया है। समीक्षा के क्रम में कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई, मनिहारी, फलका एवं बरारी में उक्त सभी योजनाओं की स्थिति यथावत पाई गई जो अत्यन्त खेदजनक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है।

मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 306 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 192 आवास पूर्ण हुआ है जो कि संतोषप्रद नहीं है।

- अररिया :–

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
48309	43517	32275	11003	20196

अररिया जिले के समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस 2021–22 अंतर्गत कुल लक्ष्य 48309 के विरुद्ध कुल पूर्ण गृह निर्माण 20196 है। साथ ही प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों और द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच 11242 तथा द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच 21272 का अंतर है जो कि अत्यंत खेदजनक है। सभी प्रखंडों में रानीगंज प्रखंड का प्रतिवेदन सबसे असंतोषजनक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है।

- किशनगंज :–

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016–17 से 2020–21

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण	अपूर्ण गृह निर्माण	प्रतिशत
18497	18497	18393	18334	18367	130	99.30%

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य / स्वीकृति	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
7469 / 7339	7333	6506	3521	4104

मुख्यमंत्री आवास योजना (वर्तमान स्थिति)

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
517	517	511	507	509

किशनगंज जिले के समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल लक्ष्य 18497 के विरुद्ध विगत वर्षों में 18367 आवासों को पूर्ण कराया गया है जो कि 99.30 प्रतिशत है। आवास प्लस अंतर्गत द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त का अंतर 2985 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवास प्लस योजना में द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त का अंतर संतोषप्रद नहीं है।

मुख्यमंत्री आवास योजना में 517 लक्ष्य के विरुद्ध 509 आवास पूर्ण हुआ है जो कि संतोषप्रद है परंतु इसका भौतिक सत्यापन भी कराना आवश्यक है।

- सहरसा :–

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016–17 से 2020–21

लक्ष्य / स्वीकृति	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
76787 / 76787	76787	75013	74942	75442

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य / स्वीकृति	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
6876 / 6224	6167	5214	3296	4424

मुख्यमंत्री आवास योजना (2018–19)

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
1526	904	847	811	835

सहरसा जिला के समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कुल लक्ष्य 76787 के विरुद्ध विगत वर्षों में 75442आवासों को पूर्ण कराया गया है एवं 1345 अपूर्ण है। आवास प्लस अंतर्गत तीनों किस्तों के भुगतान में काफी अंतर है एवं 6876 लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण कराये गये गृह मात्र 4424 है जो कि संतोषप्रद नहीं है।

मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1526 लक्ष्य के विरुद्ध 835 आवास पूर्ण हुआ है जो कि संतोषप्रद नहीं है ।

- मधेपुरा :–

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य / स्वीकृति	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
21888 / 20706	18756	11971	5435	5652

मुख्यमंत्री आवास योजना (वर्तमान स्थिति)

लक्ष्य	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
1057	663	438	317	319

मधेपुरा जिला के समीक्षा में पाया गया कि आवास प्लस अंतर्गत तीनों किस्तों के भुगतान में काफी अंतर है एवं 21888 लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण कराये गये गृह की संख्या मात्र 5652 है जो कि संतोषप्रद नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मधेपुरा

जिला में उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है एवं विभाग द्वारा निदेशित आवास निर्माण कार्य का सतत् अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1057 लक्ष्य के विरुद्ध 319 आवास पूर्ण हुआ है जो कि संतोषप्रद नहीं है तथा इसके प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के भुगतान में भी 225 और द्वितीय तथा तृतीय किस्त के भुगतान में 121 का अंतर है ।

- <u>सुपौल :–</u>

आवास प्लस 2021–22

लक्ष्य / स्वीकृति	प्रथम किस्त भुगतान	द्वितीय किस्त भुगतान	तृतीय किस्त भुगतान	पूर्ण गृह निर्माण
21469 / 20398	19032	14001	7911	9350

सुपौल जिला के समीक्षा में पाया गया कि आवास प्लस अंतर्गत तीनों किस्तों के भुगतान में काफी अंतर है एवं 21469 लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण कराये गये गृह मात्र 9350 है जो कि संतोषप्रद नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सुपौल जिला में भी उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है एवं विभाग द्वारा निदेशित आवास निर्माण कार्य का सतत् अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

निदेशः– सभी जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के बीच के अंतर को कम किया जाय एवं इनके बीच के अंतर के आधार पर संबंधित लाभुकों के आवासों का भी भौतिक सत्यापन कराया जाय ताकि उनके आवासों के वास्तविक स्थिति का पता चल सके। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों को द्वितीय किस्त देने एवं उनके आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु जिला/प्रखंड स्तर पर कार्यरत वार रुम से लाभुकों से दूरभाष पर संपर्क किया जाय एवं हठी लाभुको के विरुद्ध

उजला नोटिस/लाल नोटिस निर्गत किया जाय। इस कार्य में आवास सहायकों को प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण करने हेतु निदेश दिया जाय। साथ ही उनके भ्रमण पंजी का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाय तथा जिला स्तर पर भी इसकी जांच की जाय। प्रथम किस्त लेने के बाद जो लाभुक गृह निर्माण नहीं करते हैं उन्हें विभागीय निदेश के आलोक में 60 दिनों के बाद उन पर नियमानुसार निलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जाय। इसके लिये अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर निलाम पत्र वाद की कार्रवाई में तेजी लाया जाय। जो भी लाभुक उक्त योजना में लापरवाही बरतते हैं उन्हें संबंधित थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर वारंट जारी कराने की व्यवस्था की जाय। इंदिरा आवास अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न किये जाने का निदेश दिया गया।

प्रखंड में लेखा संधारण की व्यवस्था में सुधार लाने एवं कैश बुक, चेक पंजी, एवं बैंक से प्राप्त लेखा विवरणी के आधार पर लिखने तथा लेखा से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ कैश बुक में ससमय करने का निदेश दिया गया। चेक पंजी अद्यतन कर उसमें सूद की राशि अंकित कर दी जाय एवं जो भी अग्रिम राशि शेष है उसे वसूल करने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय तथा कैश बुक का अवलोकन समय–समय पर उप विकास आयुक्त को किये जाने का निदेश दिया गया। इस हेतु अगले दो माह के अंदर उप विकास आयुक्त/निदेशक,डी0आर0डी0ए0 द्वारा सभी प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया जाय। जिला पदाधिकारी भी प्रत्येक माह कम से कम एक प्रखंड का निरीक्षण अवश्य करेंगे।

➢ <u>लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :–</u>

IHHL Entry progress on LSBA (Universal coverage preparation status)

District Name	IHHL Target	No. of HH entered on LSBA (Base line preparation)
Purnia	406015	203864
Katihar	314306	314306
Araria	15786	9341
Kishanganj	12278	9113
Saharsa	17540	17502
Madhepura	22802	14182
Supoul	19294	19294

समीक्षोपरांत पाया गया कि सभी जिलों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत चयनित सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके विरुद्ध कम कार्य हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में उक्त कार्य योजना का निर्माण करवाने हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चिन्हित किया जाना बाकी है।

<u>निदेश</u> :– ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर इसे वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निष्पादन करने की व्यवस्था की जाय तथा कृषि एवं मवेशीजनित कचरा को कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस बनाने हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जाय। वार्डों में संग्रहित अपशिष्ट को ई–रिक्शा से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई तक पहँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

➢ <u>मनरेगा :–</u>

- <u>अमृत सरोवर निर्माण योजना :–</u>

मनरेगा योजनान्तर्गत अमृत सरोवर निर्माण योजना की गहन समीक्षा की गई जिसका जिलावार स्थिति निम्न है –

District Name	No. of Amrit Sarovar Works Identified	No. of ongoing Amrit Sarovar	Completed
Purnia	161	65	17
Katihar	103	56	12
Araria	84	75	18
Kishanganj	79	79	17
Saharsa	151	77	18
Madhepura	86	9	15
Supoul	76	06	7

मनरेगा योजनान्तर्गत पूर्णिया जिले में 15 अगस्त, 2022 तक कुल 20 सरोवर, कटिहार जिले में कुल 15 सरोवर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था साथ ही सभी जिलों में भी लक्ष्य के विरुद्ध कम सरोवर का निर्माण किया गया है।

निदेश :– मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे अमृत सरोवर योजना, जल जीवन हरियाली योजना, वृक्षारोपण एवं अन्य सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति अच्छी नहीं पायी गयी। सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरुप मानव दिवस का सृजन पूर्ण किया जाय। मनरेगा से संबंधित सभी योजनाओं के सघन जांच करते हुए लम्बित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर ली जाय। मनरेगा से संबंधित डी0पी0ओ0, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी इत्यादि नियमित रुप से संबंधित प्रखंड के पंचायत में चल रहे मनरेगा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें एवं पुनः इनके साथ उप विकास आयुक्त/निदेशक (डी0आर0डी0ए0) स्वयं सप्ताहिक बैठक कर इनकी समीक्षा कर ले।

अनुपालन :–जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/निदेशक (DRDA) पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया/सहरसा/सुपौल मधेपुरा ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2870 दिनांक 24/08/2022

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.. जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/निदेशक (डी0आर0डी0ए0) पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया/सहरसा /सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3. आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. आई0टी0 मैनेजर, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्यवाही को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24/8/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।